



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 27.12.2020

1-थाना दादरी पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान एक गौकश गिरफ्तार, कब्जे से अवैध शस्त्र, चोरी की एक कार होण्डा सिटी व गौ हत्या में प्रयुक्त किया जाने वाला सामान बरामद।

दिनांक 27.12.2020 को थाना दादरी पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान चिल्ड्रन्स एकेडमी के पीछे तालाब के किनारे से होण्डा सिटी गाडी में गौवंश को लादने का प्रयास कर रहे गौकशो में से 01 अभियुक्त महताब पुत्र इकबाल उर्फ हकीम कुरैशी मूल निवासी ग्राम बझैडा थाना धौलाना जिला हापुड वर्तमान निवासी पुराना कटहैरा रोड भीम डेरी के पास नई आबादी थाना दादरी गौतमबुद्धनगर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के अन्य साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। अभियुक्त व उसके साथी आवारा घूमने वाले गौवंशो को पकडकर बेहोशी का इंजक्शन लगाकर गाड़ी में लादकर सुनसान जगहों पर ले जाकर गौकशी की घटना करते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. महताब पुत्र इकबाल उर्फ हकीम कुरैशी मूल निवासी ग्राम बझैडा थाना धौलाना जिला हापुड वर्तमान पुराना कटहैरा रोड भीम डेरी के पास नई आबादी थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

आपराधिक इतिहास का विवरण-

1. मु0अ0सं0 928/20 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 936/2020 धारा 147,148,149,307,34,414 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 937/2020 धारा 25/27 आयुध अधि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

1. एक तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर

2.01 कार होण्डा सिटी बिना नम्बर की (चोरी की)

3. गौ हत्या मे प्रयुक्त किये जाने वाला सामान एक दाँव, दो छुरी व दो अदद रस्सी एक मोहरा व एक इंजेक्शन व दो सिरीं जमय सुई ।

2-थाना कासना पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 27.12.2020 को थाना कासना पुलिस द्वारा मु0अ0स0 384/2020 धारा 147,148, 452, 323, 504,506 भादवि में वांछित अभियुक्त मुखतियार पुत्र रमजानी निवासी ग्राम चूहड़पुर थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर को निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मुखतियार पुत्र रमजानी निवासी ग्राम चूहड़पुर थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर

अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 384/2020 धारा 147,148,452,323,504,506 भादवि थाना कासना गौतमबुद्धनगर

#-पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में कोविड 19 के दृष्टिगत बिना मास्क लगाकर घूमने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध चलाये जा रहे चेकिंग अभियान में दिनांक 27.12.2020 को 313 व्यक्तियों का चालान किया गया व 31300/- शमन शुल्क वसूला गया।